न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 21 / 2020

प्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र प्रभूराम
2. भूण्डाराम पुत्र प्रभूराम

जातियान मेघवाल
निवासीगण भावी
तहसील बिलाड़ा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कमलादेवी पत्नी भाकरराम
2. कल्याणराम पुत्र भाकरराम
3. प्रहलाद पुत्र नरपतराम
   जरिये संरक्षक माता राजन
   पत्नी नरपतराम
4. राजन पत्नी नरपतराम
   जातियान देवासी निवासीगण
   भावी तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
5. प्रेम पुत्री पन्नाराम पत्नी शेषाराम
   जाति मेघवाल निवासी गरनियां
   तहसील जैतारण जिला पाली
6. मुन्नी पत्नी पन्नाराम
7. श्रवण पुत्र पन्नाराम
8. शिवप्रकाश पुत्र पन्नाराम
   जातियान मेघवाल निवासीगण
   भावी तहसील बिलाड़ा
9. सुआ पुत्री पन्नाराम पत्नी
   खेताराम जाति मेघवाल निवासी
   बिलावास तहसील सोजतसिटी
   जिला पाली
10. सुखड़ी पुत्री पन्नाराम पत्नी
    लिछमणराम जाति मेघवाल
    निवासी बाला तहसील बिलाड़ा
11. सीता पुत्री पन्नाराम पत्नी
    भूण्डाराम जाति मेघवाल निवासी
    सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा
12. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– प्रार्थीगण की ओर से श्री डी.डी. रामावत एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या–1 से 3, 5 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या–4, 6 से 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या–12 की ओर से सरकारी पेरोकार

निर्णय **दिनांक** 6/2/2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 998, 998/1 आयी हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण की है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 998, 998/1 के पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 999 तथा उसके आगे पूर्वी तरफ अप्रार्थी सख्या–6 से 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1001 स्थित है। खसरा नम्बर 1001 के पूर्वी दिशा की तरफ खसरा नम्बर 963 सरकारी भूमि है, जिसमें किस्तूरबा विद्यालय बना हुआ है, कस्तूरबां विद्यालय के आगे ग्राम भावी से ग्राम घाणामगरा सरहद तक चलने वाला कटाणी रास्ता/ग्रेवल सड़क है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 998, 998/1 में ग्रेवल सड़क से होते हुए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के उतरी तरफ स्थित रास्ते से होकर अप्रार्थी संख्या–1 से 5 की भूमि खसरा नम्बर 1001 तथा अप्रार्थी संख्या–6 से 12 की भूमि खसरा नम्बर 999 के उतरी माठ से होकर कदीमी काल से उपयोग व उपभोग मे रास्ता को काम में लेते आ रहे है। जो उक्त रास्ता दोनों खसरों के उतरी माठ के समानान्तरणसंलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार मार्क ABCD 10 फुट चौड़ाई में कायम है तथा आगे उक्त रास्ता कस्तूरबां आवासीय विद्यालय के उतर की तरफ बाउण्ड्री के समानान्तरण आगे पूर्वी दिशा में कायम भावी से घाणामगरा ग्रेवल सड़क में मिलता है। अभी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–1 से 5 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 999 के पश्चिमी तरफ तारबंन्दी कर दी तथा अप्रार्थी संख्या–5 से 12 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1001 के उतरी–पश्चिमी तरफ लौहे की फाटक लगाकर ताला लगा दिया जिसके कारण प्रार्थीगण खेती से महरूम हो गये प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण मुआवजा राशि देने को तैयार है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 999, 1001 में से रास्ता दिलाया जाने का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 से 3, 5 की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या–4, 6 से 11 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या–12 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–1 से 3, 5 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया, प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 998, 998/1 में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 999, 1001 में से कोई रास्ता नही निकलता है। प्रार्थीगण को भूमि खसरा नमब्र 998, 998/1 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो वैकल्पिक रास्ता ग्राम भावी (एस.बी.) की भूमि खसरा नम्बर 1842 गै.मु. रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर 996, 997 के उतरी दिशा की माठ के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 998 में पहूंचता है। जो रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी है जिससे प्रार्थीगण का आवागमन कई पीढीयों से चला आ रहा है। जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 998 में कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 999 तथा अप्रार्थी संख्या–6 से 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1001 तथा खसरा नम्बर 963 में से गुजरना बताया है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 963 के खातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है।जब तक खसरा नम्बर 963 के खातेदार नही बनाया जाता तब तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने येाग्य नही है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 998 में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी सख्या–1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 999 तथा अप्रार्थी संख्या–6 से 12 की भूमि खसरा नम्बर 1001 तथा उसके बाद खसरा नम्बर 963 में से गुजरकर ग्रेवल सड़क तक पहुचना होगा। लेकिन प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 963 के खातेदार को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल इसी आधार पर खारिज योग्य है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या–12 ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 998, 998/1 मे आने जाने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण अपने खेत में पड़ौसी खातेदारों की भूमि में से होकर आना जाना करते है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते में खसरा नम्बर 999 में से 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1001 में से 8 बिस्वा भूमि रास्ते में उपयोग होगी। वर्तमान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

राजमार्ग भावी बाईपास से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि खसरा नम्बर 998, 998/1 में कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 से 5 की भूमि खसरा नम्बर 999 तथा अप्रार्थी सख्या–6 से 12 की भूमि खसरा नम्बर 1001 के मार्क ए.बी.सी.डी. का रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है इस कारण नजदीकी रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाने का आदेश फरमावें अप्रार्थी सख्या–1, 3, 5 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 998, 998/1 का सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 997, 996 से होकर खसरा नम्बर 1842 गैर मुमकीन रास्ता से है जिसका न्यूनतम रास्ता की दूरी नजरी नक्शे से साबित होता है। इसके अलावा प्रार्थी ने खसरा नम्बर 963 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध मौका कमीश्नर रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 998 में कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 999 तथा अप्रार्थी संख्या–6 से 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1001 तथा खसरा नम्बर 963 में से गुजरना बताया है। किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक जाने के लिए ग्रेवल सड़क से रास्ता प्रदान किया जाता है ताकि खातेदार ग्रेवल सड़क से जुड़ जाये। मौजूदा मामले में प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 963 में से रास्ता का उपयोग व उपभोग करना बताया है, लेकिन प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 963 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया है, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा